वन विभाग

तेन्दू पत्ता निविदाकार का करारनामा

[निविदा सूचना की शर्त (7) (3)]

यह करार..आज दिनांक....................................माह..

सन्........................को प्रथम पक्ष..............................के मार्फत कार्य करते हुये राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसके आगे "राज्य सरकार" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में,, उनके उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री..आत्मज..ग्राम..

तहसील..जिला..(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उसके दायाद उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभि हस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूंकि तेन्दू पत्तों का व्यापार, राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमन होता है।

और चूंकि राज्य सरकार राजस्थान को विभिन्न तेन्दू पत्ता इकाइयों से सम्बन्धित अधिसूचना क्रमांक.................

दिनांक............................के..अनुसार वन मण्डल..की

इकाई क्रमांक..................................के तेन्दू पत्तों का निविदा द्वारा निवर्तन करना चाहती है।

और चूंकि राज्य सरकार उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए सम्भावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करना चाहती है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे सम्बन्धित पक्ष, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में परस्पर करार करते हैं--

(1) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के समस्त उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है, और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं।

(2) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/मेरी/हमारी निविदा किसी भी समय वापस नहीं करूंगा/करेंगे मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/मेरी/हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के आदेश पारित नहीं हो जाते अथवा दूसरा व्यक्ति/अथवा पक्ष उस इकाई के लिये खरीददार नियुक्त नहीं हो जाता जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

(3) मेरे/हमारे द्वारा इस करारनामे की शर्तों के प्रतिपालन में असफल रहने पर मैं/हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबन्धों के अधीन लागू होगी।

(4) इस करार के सम्बन्ध में सही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम, तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना क्रमांक........................ दिनांक............................के अधीन जारी की गयी निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों के जो सब इस करार के भाग होंगे और उसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है, उपबन्धों के अधीन है। [कृ. प.उ.]

(5) मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ते के सम्बन्ध में कोई राशि बकाया नहीं।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बन्धित पक्षों ने प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण :- (1) ____________________ राजस्थान के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से

कार्य करते हुए ____________________

(2) ____________________ ____________________

की उपस्थिति में के हस्ताक्षर

साक्षीगण :- (1) ____________________

(2) ____________________

की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर